



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102021-230219
CG-DL-E-07102021-230219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3782]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2021/ आश्विन 15, 1943

No. 3782]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का.आ. 4116(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री एम. वेंकटेश्वर राव, विशेष उप समाहर्ता (भूमि अधिग्रहण), आंध्र प्रदेश सरकार को श्री एन.एस.वी.बी.वी. रायडू, विशेष उप समाहर्ता (भूमि अधिग्रहण), आंध्र प्रदेश सरकार के स्थान पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/89/2021-जीपी-II (ई-39351)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2021

S.O. 4116(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri M. Venkateswara Rao, Special Deputy Collector (Land Acquisition), Government of Andhra Pradesh vice Shri N.S.V.B.V. Rayudu, Special Deputy Collector (Land Acquisition), Government of Andhra Pradesh to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Andhra Pradesh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/89/2021-GP-II (E-39351)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.